भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2527

उत्तर देने की तारीख - 04/08/2025

सोमवार, 13 श्रावण, 1947 (शक)

देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या

2527. श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौशल विकास योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अब तक देश में कितने बेरोजगार युवाओं को राज्य-वार प्रशिक्षण दिया गया है;

(ख) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को राज्यवार और स्थानवार कितनी नौकरियां प्रदान की गई हैं;

(ग) क्या उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण के रूप में सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो राज्य-वार कितनी ऋण राशि प्रदान की गई है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) : कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) 2015 से अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का क्रियान्वयन कर रहा है। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से पुनः कौशलीकरण एवं कौशलोन्नयन के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पीएमकेवीवाई योजना विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है ताकि उन्हें नौकरी के लिए तैयार किया जा सके। पीएमकेवीवाई 4.0, जो वर्तमान में 2022-23 से क्रियान्वयन के अधीन है, के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध करियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एमएसडीई की इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

पीएमकेवीवाई के अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत, 2015-16 से 2021-22 तक लागू किए गए पहले तीन संस्करणों (पीएमवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0) में प्लेसमेंट पर नज़र रखी गई। पीएमकेवीवाई (1.0 से 3.0) के अंतर्गत, पूरे भारत में 24.38 लाख उम्मीदवारों को प्लेसमेंट प्राप्त हुआ, जिनका राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध करियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) जैसे विभिन्न आईटी उपकरण भी यह अवसर प्रदान करते हैं।

एमएसडीई ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) नामक एक एकीकृत मंच शुरू किया है जो प्रमुख हितधारकों को जीवन भर सेवाएं प्रदान करने के लिए कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता पारिस्थितिकी प्रणालियों को एकीकृत करता है। प्रशिक्षित उम्मीदवारों का ब्यौरा संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए सिद्ध पोर्टल पर उपलब्ध है। सिद्ध के माध्यम से, उम्मीदवार नौकरियों और प्रशिक्षुता के अवसरों तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, प्रमाणित उम्मीदवारों को प्लेसमेंट के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार मेले और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) का आयोजन किया जाता है।

(ग) और (घ) : युवाओं को व्यावसायिक उद्यम या स्टार्टअप स्थापित करने हेतु ऋण/कर्ज उपलब्ध कराने के लिए, सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, पीएम विश्वकर्मा आदि विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी ताकि ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो ऋण लेने के लिए पात्र है और जिसके पास लघु व्यवसाय उद्यम के लिए व्यवसाय योजना है, बिना किसी जमानत के संस्थागत ऋण उपलब्ध कराया जा सके। वह इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं और कृषि क्षेत्र से संबद्ध आय सृजन गतिविधियों के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकता है। पीएमएमवाई के अंतर्गत, सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी दोनों आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।

दिनांक 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना, कौशल प्रशिक्षण, संपार्श्विक मुक्त ऋण, आधुनिक उपकरण, बाजार संपर्क सहायता और डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से 18 चिन्हित व्यवसायों में लगे पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को एक छोर से दूसरे छोर तक समग्र सहायता प्रदान करती है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) को 30 सितंबर 2024 तक लागू किया गया था। इसका उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों को लाभकारी स्व-रोज़गार और कुशल वेतन रोजगार के अवसर प्रदान करके उनकी गरीबी और भेद्यता को कम करना है। डीएवाई-एनयूएलएम के स्व-रोज़गार कार्यक्रम (एसईपी) घटक के अंतर्गत, शहरी गरीबों के व्यक्तियों/समूहों को उनके कौशल, योग्यता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल लाभकारी स्व-रोज़गार उद्यम/सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

अक्टूबर 2022 में शुरू की गई स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए शुरुआती चरण की ऋण आवश्यकताओं को आसान बनाना है। सीजीएसएस का उद्देश्य स्टार्टअप वित्तपोषण के लिए सदस्य संस्थानों द्वारा दिए गए क्रेडिट उपकरणों के संबंध में एक निर्दिष्ट सीमा तक गारंटी प्रदान करना है। 5 अप्रैल, 2016 को शुरू की गई स्टैंड-अप इंडिया योजना का उद्देश्य व्यापार, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपये तक के बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

जून 2025 तक पीएमएमवाई के अंतर्गत ऋण खातों की संख्या और स्वीकृत राशि का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है । जून 2025 तक पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत ऋण खातों की संख्या और स्वीकृत राशि का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है । सितंबर 2024 तक कार्यान्वित एसईपी के अंतर्गत लाभार्थियों और वितरित ऋण राशि का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या के संबंध में दिनांक 04.08.2025 को उत्तरित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2527 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध- I

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित एवं नियोजित अभ्यर्थियों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**प्रशिक्षित/उन्मुख** (2015-16 से 30.06.2025 तक)	**नियोजित** (2015-16 से 2021-22 तक)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5,501	124
आंध्र प्रदेश	5,27,676	1,11,640
अरुणाचल प्रदेश	98,157	13,631
असम	8,39,371	66,354
बिहार	7,59,846	1,26,782
चंडीगढ़	28,009	6,355
छत्तीसगढ	2,04,474	28,112
दिल्ली	5,26,790	78,271
गोवा	10,484	1,105
गुजरात	4,71,538	69,289
हरियाणा	7,62,041	1,58,951
हिमाचल प्रदेश	1,76,021	26,726
जम्मू और कश्मीर	4,29,204	52,629
झारखंड	3,14,048	28,955
कर्नाटक	6,05,147	74,225
केरल	2,74,550	26,385
लद्दाख	4,076	944
लक्षद्वीप	390	-
मध्य प्रदेश	12,13,250	2,20,115
महाराष्ट्र	13,31,385	80,950
मणिपुर	1,14,910	16,094
मेघालय	58,706	13,608
मिजोरम	44,147	9,566
नागालैंड	54,013	6,181
ओडिशा	6,02,124	71,056
पुदुचेरी	35,491	10,504
पंजाब	5,59,406	1,28,905
राजस्थान	14,06,943	1,84,004
सिक्किम	19,479	3,798
तमिलनाडु	8,85,134	1,71,794
तेलंगाना	4,64,107	1,12,967
डीएनएच और डीडी	11,842	2,817
त्रिपुरा	1,59,920	18,682
उत्तर प्रदेश	25,06,438	3,38,634
उत्तराखंड	2,51,815	52,584
पश्चिम बंगाल	6,50,830	1,15,537
कुल योग	**1,64,07,263**	**24,28,274**

अनुबंध- II

जून 2025 तक पीएमएमवाई के तहत ऋण खातों की संख्या और स्वीकृत राशि का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ऋण खातों की संख्या (लाख में)	स्वीकृत राशि (लाख करोड़ रुपये)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.55	0.01
2	आंध्र प्रदेश	106.16	1.28
3	अरुणाचल प्रदेश	1.54	0.02
4	असम	120.30	0.70
5	बिहार	617.86	3.15
6	चंडीगढ़	2.00	0.03
7	छत्तीसगढ	101.98	0.64
8	डीएनएच और डीडी	0.44	0.01
9	दिल्ली	35.79	0.43
10	गोवा	3.90	0.06
11	गुजरात	161.77	1.37
12	हरियाणा	97.73	0.77
13	हिमाचल प्रदेश	11.55	0.24
14	झारखंड	157.21	0.83
15	कर्नाटक	508.56	3.23
16	केरल	175.21	1.25
17	लक्षद्वीप	0.13	0.00
18	मध्य प्रदेश	322.73	1.94
19	महाराष्ट्र	429.28	2.96
20	मणिपुर	4.63	0.03
21	मेघालय	3.07	0.03
22	मिजोरम	1.70	0.03
23	नागालैंड	1.71	0.03
24	ओडिशा	343.00	1.59
25	पॉडिचेरी	12.51	0.08
26	पंजाब	99.75	0.83
27	राजस्थान	230.68	1.84
28	सिक्किम	1.76	0.02
29	तमिलनाडु	596.36	3.44
30	तेलंगाना	80.86	0.79
31	त्रिपुरा	33.07	0.19
32	उत्तर प्रदेश	535.00	3.45
33	उत्तराखंड	34.05	0.33
34	पश्चिम बंगाल	529.66	3.04
35	जम्मू और कश्मीर	21.92	0.49
36	लद्दाख	0.65	0.02
कुल योग		**5,385.07**	**35.13**

अनुबंध- III

जून 2025 तक पीएम विश्वकर्मा के तहत ऋण खातों की संख्या और स्वीकृत राशि का राज्य-वार ब्यौरा

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ऋण खातों की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	64	57.55
2	आंध्र प्रदेश	37,429	30276.13
3	अरुणाचल प्रदेश	141	132.68
4	असम	13,654	12768.65
5	बिहार	16,794	14494.15
6	चंडीगढ़	23	19.95
7	छत्तीसगढ	9,109	7570.83
8	दिल्ली	97	85.45
9	गोवा	923	821.99
10	गुजरात	41,171	37221.81
11	हरियाणा	6,608	6125.33
12	हिमाचल प्रदेश	1,641	1537.93
13	जम्मू और कश्मीर	13,366	12365.26
14	झारखंड	4,448	3181.19
15	कर्नाटक	1,12,681	89372.06
16	केरल	4,263	3863.52
17	लद्दाख	414	409.37
18	लक्षद्वीप	08	6.50
19	मध्य प्रदेश	41,334	37473.85
20	महाराष्ट्र	42,955	37760.61
21	मणिपुर	1,471	1363.49
22	मेघालय	09	8.40
23	मिजोरम	68	67.50
24	नागालैंड	242	235.08
25	ओडिशा	13,724	11756.17
26	पुदुचेरी	98	94.21
27	पंजाब	1,458	1336.21
28	राजस्थान	49,072	43508.29
29	सिक्किम	176	169.25
30	तेलंगाना	25,585	24023.48
31	डीएनएच और डीडी	68	54.45
32	त्रिपुरा	3,859	3314.57
33	उत्तर प्रदेश	10,741	9760.57
34	उत्तराखंड	819	750.39
कुल योग		**4,54,513**	**391986.85**

अनुबंध- IV

सितंबर 2024 तक डीएवाई-एनयूएलएम के एसईपी घटक के अंतर्गत लाभार्थियों और वितरित ऋण राशि का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7	0.13
2	आंध्र प्रदेश	1,07,097	1029.21
3	अरुणाचल प्रदेश	76	1.35
4	असम	6,520	71.98
5	बिहार	13,769	152.62
6	चंडीगढ़	410	4.20
7	छत्तीसगढ	49,323	389.62
8	गोवा	264	1.48
9	गुजरात	30,324	303.33
10	हरयाणा	8,008	88.29
11	हिमाचल प्रदेश	4,022	46.10
12	जम्मू और कश्मीर	16,383	286.32
13	झारखंड	12,767	115.29
14	कर्नाटक	26,592	337.32
15	केरल	14,492	166.33
16	लद्दाख	22	0.42
17	मध्य प्रदेश	92,624	948.98
18	महाराष्ट्र	62,485	578.23
19	मणिपुर	136	2.30
20	मेघालय	137	1.83
21	मिजोरम	2,471	31.97
22	नगालैंड	382	5.03
23	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,213	11.47
24	ओडिशा	45,950	307.35
25	पुदुचेरी	612	3.42
26	पंजाब	12,149	123.24
27	राजस्थान	32,943	323.77
28	सिक्किम	35	0.63
29	तमिलनाडु	3,09,247	1864.20
30	तेलंगाना	15,623	137.72
31	त्रिपुरा	2,034	30.93
32	उत्तर प्रदेश	90,188	1151.76
33	उत्तराखंड	9,173	134.01
34	पश्चिम बंगाल	14,421	124.19
कुल योग		**9,81,899**	**8775.02**

*****